

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पंजाब एवं यू टी, सेक्टर 17 ई, चंडीगढ़-160017
Office of the Accountant General (A&E) Punjab & UT, Sector 17E,
Chandigarh-160017

Phone: 0172-2702174, 2702906, 2709576, 2702174, 2703976

Fax: 0172-2702286

E-mail: agaepunjab@cag.gov.in

सेवा में,

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के सभी विभागीय प्रमुख
All Heads of Department in IA&AD (As per mailing list)

विषय: वरिष्ठ लेखाकार/लेखाकार संवर्ग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर रिक्तियों को भरना।
Subject: Filling up of vacancies in the cadre of Sr. Accountant/Accountant on deputation basis.

महोदय/महोदया,

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्था.(वेतन-II) दिनांक 17.06.2010 में निर्धारित सामान्य नियमों व शर्तों (समय-समय पर संशोधित) पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर वरिष्ठ लेखाकार/लेखाकार के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

Applications are invited for filling up the vacant posts of Sr. Accountant/Accountant on deputation basis on usual terms and conditions stipulated in DOPT OM No. 6/8/2009-Estt. (Pay-II) dated 17.06.2010 as amended from time to time.

2. प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:-

The eligibility criteria for deputation is as under:-

Sr. No.	Name of post	Eligibility for deputation of officials
i.	वरि. लेखाकार, स्तर - 6 Sr. Accountant, Level-6	आवेदकों को मूल कार्यालय में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर होना चाहिये। Applicants should be holding analogous post on regular basis in the parent office. वरि. लेखाकार/वरि. लेखापरीक्षक Senior Accountants/Sr. Auditor
ii.	लेखाकार, स्तर - 5 Accountant, Level-5	आवेदकों को मूल कार्यालय में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर होना चाहिये। Applicants should be holding analogous post on regular basis in the parent office. लेखाकार/लेखापरीक्षक Accountants/Auditors

3. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years on the closing date of receipt of application.

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए होगी तथा संबंधित अधिकारियों के कार्य निष्पादन तथा संवर्ग में रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है।

The period of deputation will initially be for one year and can be extended there after subject to performance of the officials concerned and availability of vacancies in the cadre.

5. इस संबंध में, अनुरोध है कि कृपया इच्छुक पात्र अधिकारियों के नामों की अनुशंसा करें जिन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर संबंधित पदों पर उनके चयन की स्थिति में उन्हें तुरंत कार्यमुक्त किया जाए। कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के साथ सिफारिशें 04.08.2025 तक इस कार्यालय को भेजी जाएं।

In this regard, it is requested to kindly recommend the names of eligible officials who are willing and can be spared immediately in the event of their selection to the respective posts on deputation basis. The recommendations with the following documents/certificates may kindly be forwarded to this office by 04.08.2025.

- i. आवेदक का विधिवत भरा हुआ और कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित बायोडाटा Bio-data of the applicant duly filled in and attested by the Head of office.
- ii. प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत सत्यापित पिछले 5 वर्षों की पूर्ण और अधतन एसीआर/एपीएआर की फोटोकॉपी Photocopies of complete and up to date ACR/APARs for the last 5 years duly attested on each page.
- iii. सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र/ सतर्कता मंजूरी प्रमाणपत्र Integrity Certificate/Vigilance Clearance Certificate.

भवदीया

Digitally signed by
Sukhnandan Saharwal
उप महालेखकार (प्रशासन)
Deputy Accountant General (Admn)
Date: 03-07-2025
16:57:44

Copy of above is forwarded to IT Support Cell for uploading on the website of the office.